

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

कार्यालय आदेश

श्री रमेशचन्द्र ढोली (राणा) व्याख्याता इतिहास सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर जन्म तिथि- 15.08.1960 का निधन दिनांक- 13.08.2016 को हो चुका है। अतः श्री रमेशचन्द्र ढोली (राणा) की सेवायें दिनांक- 13.08.2016 से समाप्त की जाती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/31854/सेवासमाप्ति/11
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक- 20/9/16

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, बीकानेर
- (2) सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बीकानेर
- (3) उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग, बीकानेर
- (4) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बीकानेर
- (4) संस्था प्रधान सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावें।
- (5) अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/वि.जांच/सीओएसी प्रभाग/कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- (6) निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृति आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क.सं	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	गजेन्द्र सिंह तंवर व्या०, डाईट, बाड़मेर	जीव विज्ञान	17-09-1956	30-09-2016

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-4/रजिगृ/2016-17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है वह दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैत प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) संबन्धित प्राध्यापक।
- (7) रक्षित पत्रावली 1/

कम्प्यूटर अनुभाग

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

दिनांक:- 27/9/16

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

सेवा समाप्ति आदेश

प्रारूप-6 परिशिष्ट "अ"

(निगम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

1. स्व. श्री रामप्रसाद बैरवा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीथा का खेडा (भीलवाड़ा) के रूप में कार्यरत थे जिनकी जन्मतिथि 20.09.70 है, जिनका दिनांक-31.08.2016 को राज्य सेवा में रहते निधन हो गया है। अतः स्व. श्री रामप्रसाद बैरवा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीथा का खेडा (भीलवाड़ा) की सेवाएँ दिनांक 31.08.2016 से समाप्त की जाती हैं।

2- यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित स्व. श्री रामप्रसाद बैरवा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीथा का खेडा (भीलवाड़ा) विरुद्ध आज तक:-

- 1- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएसएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,


बीकानेर

दिनांक-27.9.16

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/ए-7/रामप्रसादबैरवा/से.स./16

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग, अजमेर।
- 3- उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम) भीलवाड़ा।
- 5- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग।
- 6- अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच/वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
- 7- आश्रित श्री रामप्रसाद बैरवा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीथा का खेडा (भीलवाड़ा)
- 8- प्रभारी- संस्थापन बी-1/3 प्रभाग
- 9- निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री सुखवीर सिंह पूनियां, कनिष्ठ कृषि अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मावली (उदयपुर) जिनकी जन्मतिथि 24.12.1956 है, का निधन दिनांक: 30.07.2016 को हो जाने के फलस्वरूप दिनांक: 30.07.2016 से इनकी सेवाएँ समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मेर नामित श्री सुखवीर सिंह पूनियां के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-91 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल.स्वर्णकार)

I.A.S.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 27.9.16

क्रमांक: शिविरा-माध्य/संस्था/सी-3/15044/सेवासमाप्ति/भौगक/2010

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, उदयपुर।
2. संबंधित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राउमावि, मावली (उदयपुर)।
6. आश्रित स्व. श्री सुखवीर सिंह पूनियां, कनिष्ठ कृषि अध्यापक।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/एसीआर/एबी/ओएसी प्रभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर